न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी	–	सोनिका पुरोहित, R.J.S. (DJ Cadre)
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	160/2026
सीएनआर नम्बर	–	RJCH010006702026

करड रवि कुमार पुत्र नटु भाई उम्र 28 वर्ष निवासी 17 कृष्णपार्क सोसाईटी कैनाल के पास निकोल गम रोड़ अहमदाबाद पुलिस थाना कृष्णानगर अहमदाबाद (गुजरात)

– प्रार्थी/अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य जरिए विशेष लोक अभियोजक, चूरू – अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2025 पुलिस थाना साईबर चूरू जुर्म दफा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट

उपस्थित :–

1. श्री राजेन्द्र राजपुरोहित, योग्य अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. श्री रोशन सिंह राठौड़, योग्य लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– : आ दे श : –

दिनांक – 27 मई, 2026

(1) प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता प्रस्तुत कर इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र की नकल योग्य विशेष लोक अभियेाजक को दिलवाई गई तथा अनुसन्धान पत्रावली मय तथ्यात्मक रिपोर्ट तलब की गई।

(2) बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई।

(3) प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस मामले में झूठा फँसाया गया है, उससे कोई बरामदगी नहीं हुई है तथा ना ही कोई अनुसन्धान एवं बरामदगी शेष है। ऐसी कोई भी साक्ष्य नहीं आई है जिससे प्रार्थी/अभियुक्त की इस अपराध में सक्रिय भूमिका हो। उसका पूर्व का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है। उनका यह भी निवेदन है कि प्रार्थी / अभियुक्त दिनांक 10.05.2026 से अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के शेष अनुसन्धान एवं विचारण में लम्बा समय लगेगा। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

(4) विद्वान विशेष लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुए प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

(5) बहस पर मनन किया गया तथा अनुसन्धान पत्रावली का अवलोकन किया गया। अनुसन्धान पत्रावली के अनुसार दिनांक 15.05.2025 को परिवादी श्री सन्तलाल निवासी न्यांगल बडी तहसील राजगढ जिला चूरू द्वारा साईबर पोर्टल पर की गई शिकायत की रिपोर्ट सं 32705250031988 साईबर थाना पर इस आशय की की उसे अज्ञात व्यक्ति ने पुलिस अधिकारी बनकर फोन किया तथा उसे मनी लॉन्ड्रीग एवं ड्रग्स के केस में फसाने का कहकर उसके साथ 74,00,000/– रुपये का ऑनलाईन फ्रॉड कर लिया है। आदि आदि उक्त तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 03/2025 जुर्म दफा 318(4) बीएनएस व 66 डी आईटी एक्ट में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अनुसन्धान पत्रावली के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व का आपराधिक रिकॉर्ड **शून्य** है।

(6) हालांकि प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार का पूर्व का आपराधिक रिकार्ड शून्य है किन्तु अभियोजन द्वारा प्रस्तुत अनुसन्धान पत्रावली के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि यह प्रकरण एक सुनियोजित साईबर अपराध है, जिसमें परिवादी सन्तलाल को पुलिस अधिकारी एवं अन्य सरकारी एजेन्सियों का भय दिखाकर "डिजिटल अरेस्ट" की झूठी कहानी रचते हुए मनी लॉन्ड्रिंग एवं ड्रग्स प्रकरण में फंसाने का डर उत्पन्न किया गया तथा विश्वास में लेकर उससे कुल 74,00,000/– रुपये विभिन्न बैंक खातों में स्थानान्तरित करवाये गये। अनुसंधान से यह भी परिलक्षित होता है कि उक्त अपराध किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं बल्कि विभिन्न राज्यों में फैले संगठित गिरोह द्वारा समन्वित रूप से किया गया। परिवादी द्वारा राशि जिन खातों में स्थानान्तरित की गई, उनमें बैंक ऑफ महाराष्ट्र खाता संख्या 60529670503, जो Kayenpaibam Bobby Singh निवासी इम्फाल, मणिपुर के नाम से होना पाया गया, इण्डसइण्ड बैंक खाता संख्या 201026459702, जो सिंह इंटरप्राईजेज के नाम से अखिलेश सिंह निवासी हावड़ा पश्चिम बंगाल से संबंधित होना पाया गया तथा खाता संख्या 201030672993, जो रोयल ट्रेडर्स कम्पनी के नाम से तजिन्द्र कुमार एवं निकेत सिंह से संबंधित होना पाया गया। अनुसंधान के दौरान तजिन्द्र कुमार, निकेत सिंह, रोहित कुमार उर्फ विकी, विशाल दईया, सुधीर उर्फ अतुल तथा विजय चौधरी से पूछताछ की गई तथा उनके मोबाईल हैण्डसेटों का विश्लेषण कर चैटिंग एवं वार्तालाप के स्क्रीनशॉट भी जब्त कर पत्रावली में शामिल किये गये हैं। इसके अतिरिक्त संदिग्ध मोबाईल नम्बरों की सीडीआर एवं आईपीडीआर का तकनीकी विश्लेषण भी कराया गया है। अनुसन्धान सामग्री के अवलोकन से यह तथ्य भी सामने आया है कि प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार का बैंक खाता संख्या 346701504768 उक्त ठगी की राशि के लेयरिंग एवं निकासी हेतु उपयोग में लिया गया तथा सिंह इंटरप्राईजेज के खाते से दिनांक 22.04.2025 को आरोपी रवि कुमार के खाते में 5,00,000/– रुपये स्थानान्तरित किये गये, जिन्हें आरोपी द्वारा उसी दिन निकाल लिया गया। इसी प्रकार 1,99,559/– रुपये की अन्य राशि भी आरोपी के खाते में जमा हुई, जिसमें से 6,453/– रुपये परिवादी से ठगी गई राशि में से होना पाया गया। इस प्रकार कुल 5,06,453/– रुपये की निकासी प्रार्थी/

अभियुक्त करड रवि कुमार के खाते से होना अनुसन्धान में पाया गया है। यह अभियुक्त उक्त राशि अपने खाते में प्राप्त करने की एवज में 02 प्रतिशत कमीशन प्राप्त करता था तथा दिनांक 01.04.2025 से 11.05.2025 के मध्य उसके खाते में 25,42,438/– रुपये जमा होकर लगभग समान राशि की निकासी की गई, जो साइबर अपराध से संबंधित वित्तीय लेनदेन प्रतीत होते हैं।

(7) ऐसी स्थिति में प्रकरण की प्रकृति, अपराध की गंभीरता, ठगी की विशाल राशि, विभिन्न राज्यों में फैले नेटवर्क, डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों की उपलब्धता तथा आरोपी की सक्रिय भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त रवि कुमार मात्र निष्क्रिय खाताधारक न होकर ठगी की राशि के ट्रांसफर एवं निकासी की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी रहा है तथा सह अभियुक्तों की भूमिका के संबंध में अनुसंधान अभी शेष है। इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाना अनुसन्धान की कार्यवाही के प्रतिकूल होगा तथा उसके द्वारा साक्ष्यों से छेड़छाड़ करने, सह अभियुक्तों को प्रभावित करने की सम्भावना से भी इन्कार नहीं किया जा सकता। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों, अनुसन्धान पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों, अपराध की गंभीरता एवं अभियुक्त की भूमिका को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त करड रवि कुमार को जमानत पर रिहा किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

–: <u>आ दे श</u> :–

(8) फलतः प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)

(9) आदेश आज दिनांक 27 मई, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

MOHIT SHARMA
"I attest to the accuracy and authenticity of this document."
2026.05.27 13:28:05 +0530

(सोनिका पुरोहित)
सत्र न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)